REGIONAL OFFICE
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD,
14,Sector-3B, AVAS VIKAS SIKNDRA YOJNA, AGRA-282007

No-2339/06-626/2020 Dt. 04/03/2020

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench, New Delhi

e-mail: judicial-ngt@gov.in

Sub:-Compliance to the direction issued on 20.12.2019 by Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No 1044/2019 Tanuj Shivhare Vs. Union of India & Others.

Sir,

With reference to the subject mentioned above kindly find enclosed herewith the compliance report of the directions issued on dt. 20.12.2019 by Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No 1044/2019 Tanuj Shivhare Vs. Union of India & Others.

The aforesaid compliance report is being submitted for perusal please.

Encl: As above.

Yours Sincerly

(B.P. Yadav)
Regional Officer,
Agra

Copy to following for information please:-

1- District Magistrate Agra.
2- Vice Chairman, Agra Development Authority, Agra.
3- Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Agra.
4- Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
5- Chief Environmental Officer(C-4), U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
6- Shri Pradeep Mishra , Sr. Advocote, Noida.

Regional Officer

REGIONAL OFFICE
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD,
14,Sector-3B, AVAS VIKAS SIKNDRA YOJNA, AGRA-282007

Compliance report in pursuant to direction issued by Hon'ble NGT on dated 20.12.2019 in matter of O.A. No 1044/2019 Tanuj Shivhare Vs. Union of India & Others.

In reference to the above Hon'ble National Green Tribunal in 1044/2019 Tanuj Shivhare Vs. Union of India & Others passed the following order on 20.12.2019:-

"Grievance in this application is againsat operations of cattle sheds and dairy farm located in the vicinity of the green belt area and parks around Ram Ji Dham Colony and Rishipuram Colony, Sikandra, Agra.

According to the applicant, the above activites are in violation of order of this Tribunal dated. 08.10.2018 in O.A. No. 343/2018. In pursuamce of the said order, the shed was demolished and sealed but the seal has been broken and illegal activities starts again.

Let the UP State and District Magistrate, Agra look into the matter and furnish a factual and action taken report within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in. The State PCB will be nodal agency for compliance.

Copies of this order be sent to UP State PCB and District Magistrate, Agra by e-mail for compliance.

The applicant may furnish set of papers to the UP State PCB and District Magistrate, Agra and file affidavit of service within one week.

List for further consideration on 13.03.2020."

In compliance of above order, District Magistrate issued direction vide letter dt. 25.01.2020 to Vice Chairman, Agra Development Authority to take necessary action against the cattle shed and dairy farm operational in residential area. In compliance of the order Agra Development Authority has produced the fact that previously sealed premises are still not operational. However a new cattle shed at a distance of 200 m was found operational. Taking cognizance Development Authority has initiated action under UP Urban planning and development Act, 1973 against the new cattle shed (Annexure Report-1). Further Municipal corporation has closed the cattle shed on dt. 03.03.2020 (Annexure Report-2). Inspection of the referred cattle shed was carried by UPPCB, Agra on dated 04.03.2020 and found the new shed vacated.

4/3/20 4/3/20

(Chandra Shekhar) J.E. (Dr. Vishwanath Sharma) A.S.O.

Regional Officer

आगरा, नगर निगम आगरा

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय

आगरा।

पत्रांकः– 290/डी0/वी0उ0/18 दिनांकः– 03-3-2020

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में प्रस्तुत रिट याचिका संख्या–1044/2019 बनाम यूनियन आफ इन्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि सिकन्दरा नगर निगम सीमान्तर्गत रामजी धाम कालोनी एवं रिशीपुरम कालोनी में अवैध रूप से संचालित डैरी व्यवसाय व गोबर एवं गन्दगी एकत्रित होने के सम्बन्ध में माननीय रष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में रिट याचिका दायर की गयी है। उक्त संदर्भ में आज दिनांक 03.03.2020 को प्रवर्तन दल के साथ पशुचिकित्साधिकारी द्वारा अवैध रूप से संचालित डेरी व्यवसाय को बन्द कराया गया। उक्त संदर्भ में कृत कार्यवाही की आख्या पत्र के साथ अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

3/3/2020

अपर नगर आयुक्त

नगर निगम, आगरा

प्रतिलिपिः–

1. आर0ओ0, यू0पी0 पी0सी0बी, आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर नगर आयुक्त

नगर निगम, आगरा

544/B

R.O. UPPCB

3/3/20

AEO/JE

4/3/20

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में प्रस्तुत रिट याचिका संख्या–1044/2019 बनाम यूनियन आफ इन्डिया व अन्य के सम्बन्ध में आख्या।

1. उक्त संदर्भ में आज दिनांक 03.03.2020 को सिकन्दरा नगर निगम सीमान्तर्गत रामजीधाम कालोनी एवं रिशीपुरम कालोनी में अवैध रूप से संचालित डेरी व्यवसाय बन्द कराने हेतु प्रवर्तन दल नगर निगम के साथ अद्योहस्ताक्षरी द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अनुपालनार्थ आज दिनांक 03.03.2020 को स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा अवैध रूप से संचालित डेरी पशुपालक के विरूद्ध संचालित बाड़े को बन्द कराने की कार्यवाही की गयी।
2. स्थलीय निरीक्षण के दौरान मौके पर 3 जानवरों को जब्त कर 2500 रु/– जुर्माने के रूप में वसूल किये गये एवं बाड़े को बन्द कराया गया तथा खूंटे व चारा नांद को जे0सी0बी0 से हटाते हुए बांधे जा रहे जानवरों के बाड़े को मौके पर ही साफ कराया गया । **(जुर्माने की चालान रसीद एवं फोटो संलग्न है)**
3. नगर निगम अधिनियम–1959 के तहत गोबर एवं गन्दगी में सम्बन्धित क्षेत्र के सफाई निरीक्षक द्वारा चालान की कार्यवाही की गयी। **(चालान की प्रतिलिपि संलग्न है)**
4. सम्बन्धित थाना अध्यक्ष एवं सफाई निरीक्षक को पुनः नगर निगम सीमान्तर्गत डेरी संचालन को रोकने हेतु कार्यवाही करने के सम्बन्ध में पत्र भेजे गये हैं। **(पत्र की कॉपी संलग्न है)**

बिन्दुवार आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।

03-03-2020

पशुचिकित्साधिकारी
नगर निगम आगरा

43-C/120-N, Rishipuram Colony, Sikandra, Agra, Uttar Pradesh 282007, India
Agra
Uttar Pradesh
India
2020-03-03(Tue) 01:39(pm)
30°C
86°F

2020.03.03 11:30

आगरा नगर निगम

त्र-2
तक संख्या 6856

रसीद संख्या 41

श्री मुकेश कुमार S/o [illegible] सिंह [illegible]

ल संख्या .... सिकन्दरा, आगरा

माँग रजिस्टर की क्रम सं.	गृहादि का नाम अथवा संख्या	भुगतान का विवरण	अवधि	धनराशि रु.	पै.
थाना सिकन्दरा		गोबर, गंदगी में एवं भैंस पालन में हर्जा शुल्क		2500/-	

शब्दों में दो हजार पाँच सौ मात्र

क 3/3/20

डिया

धिकारी/राजस्व अधीक्षक

कृते प्रशासक/नगर आयुक्त
माँग और समाहरण रजिस्टर का
प्रभारी लिपिक

णी : 1. अनुज्ञप्तियों (लाइसेंस) की दशा में यह रसीद अनुज्ञप्ति के स्थान पर प्रयुक्त नहीं की जा सकती और यह निगम के अनुज्ञप्ति अस्वीकार कर देने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती और सम्पत्ति का स्वामित्व नहीं होता।
2. अवशेष धनराशि पर 12% साधारण ब्याज देय होगा।

नगर निगम, आगरा

(अभियोग का अरोपण)

न्यायालय का नाम .... न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, आगरा। नं0 ....

1	2	3	4	5
अपराधी का नाम व पता	अपराध का स्थान, तिथि, समय व अपराध सम्बन्धी धारा	अपराध का विवरण	साक्षी का नाम, पता व चालान करने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	विशेष विवरण
नाम- मोहन [illegible] पता- [illegible] कॉलोनी [illegible]	[illegible] तिथि- 23/2/2020 समय- 12:05 PM. धारा- 258 नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत।	अपराधी [illegible] ने [illegible] मौके पर [illegible] जिसके [illegible]	Ajay Kumar SS [illegible] 24/2/2020 SFI	श्रीमान जी, [illegible] नं (1) [illegible]

कोर्ट क्लर्क

कार्यालय, पशुचिकित्साधिकारी, नगर निगम आगरा

सेवा में,

जैड0एस0ओ0, मुख्यालय
नगर निगम आगरा।

पत्रांकः– 288/ [illegible] /2019 दिनांकः– 03-03-2020

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में प्रस्तुत रिट याचिका संख्या–1044/2019 बनाम यूनियन आफ इन्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि सिकन्दरा सीमान्तर्गत रामजी धाम कालोनी एवं रिशीपुरम कालोनी में अवैध रूप से संचालित डैरी व्यवसाय व गोबर एवं गन्दगी एकत्रित होने के सम्बन्ध में माननीय रष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में रिट याचिका दायर की गयी है। उक्त संदर्भ में आज दिनांक 03.03.2020 को टास्क फोर्स, नगर निगम के साथ अवैध रूप से संचालित डेरी व्यवसाय को बन्द कराने की कार्यवही की गयी। मोके पर तीन जानवरों को जब्त कर 2500/– रूपये जुर्माना वसूल किया तथा जे0सी0बी0 के माध्यम से गोबर एंव गन्दगी को साफ कराया गया। कृपया सम्बन्धित सफाई निरीक्षक को पुनः बाड़ा के संचालन को रोकने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही साथ गोबर एवं गन्दगी में नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत चालान की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाये।

भवदीय

(हस्ताक्षर) 03-03-2020
पशुचिकित्साधिकारी
नगर निगम, आगरा

प्रतिलिपिः–

1. एम0एन0एस0ए को सादर अवलोकनार्थ।

(हस्ताक्षर) 03-03-2020
पशुचिकित्साधिकारी
नगर निगम, आगरा

कार्यालय पशुचिकित्साधिकारी, नगर निगम आगरा

सेवा में,

थाना अध्यक्ष

थाना : सिकन्दरा

पत्रांकः– 289/ प०चि०/ [illegible]　　　　दिनांकः– 03-3-2020

विषयः–मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग–8 लखनऊ, के शासनादेश संख्या–19/2016/780/नौ–8–/2016–10 रिट/2015, दिनांक 20 अप्रैल, 2016 क्रिमिनल मिस केस संख्या–9113(बी/2015), इमतियाज पुत्र रफीक बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहबाद, लखनऊ बैन्च लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2015 के अनुपालन में नगरीय क्षेत्रों की अवैध डेयरियों के संचालन कर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग–8 लखनऊ, के शासनादेश संख्या–19/2016/780/नौ–8–/2016–10 रिट/2015, दिनांक 20 अप्रैल, 2016 क्रिमिनल मिस केस संख्या–9113(बी/2015), इमतियाज पुत्र रफीक बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहबाद, लखनऊ बैन्च लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2015 के अनुपालन में एवं माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण में दायर याचिका के अनुपालनार्थ नगरीय क्षेत्रों की अवैध डेयरियों के संचालन कर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिये गये हैं। आज दिनांक 03.03.2020 को अद्योहस्ताक्षरी द्वारा **रामजी धाम कालोनी एवं रिशीपुरम** क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित डेरियों को बन्द कराया गया तथा जानवर जब्त कर जुर्माना वसूल किया गया। अतः आप से अनुरोध है कि पुनः डेरी संचालन को रोकने हेतु व क्षेत्र की अवैध डेयरियों एवं पशुपालकों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए नगर निगम सीमा से बाहर स्थानांतरित करने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।

पशुचिकित्साधिकारी
नगर निगम आगरा

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय आगरा।
2. पुलिस अधीक्षक (नगर) महोदय आगरा।
3. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम आगरा।
4. अपर नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम आगरा।

03-03-2020

पशुचिकित्साधिकारी
नगर निगम आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

पत्रॉकः– 2760/डी0/अ0नि0/20 दिनॉकः– 19/2/2020

प्रेषक,

सचिव,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में योजित ओए नं0–1044/2019 तनुज शिवहरे बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया पत्र संख्या–2264/ओ.जी.–626/2020 दिनांक 25.01.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो रामाजीधाम कालोनी व ऋषिपुरम कालोनी के आस–पास संचालित पशुबाड़ा एवं डेयरी फार्म से सम्बन्धित है।

अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण में योजित ओ.ए. नं0–343/2018 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2018 के अनुपालन में दिनांक 11.10.2018 को लोहामण्डी–वार्ड में रामाजीधाम कॉलोनी के भूखण्ड संख्या–05 व 06 एवं ऋषिपुरम कॉलोनी के भूखण्ड सं0–29बी के बगल में स्थित अवैध कैटल शेड जो स्थायी रूप से निर्मित था, (फोटोग्राफ पताका 'क' पर स्थित हैं) को प्राधिकरण के प्रवर्तन अनुभाग द्वारा ए.सी.एम–प्रथम, थानाध्यक्ष–सिकन्दरा एवं प्रवर्तन बल की उपस्थिति में ध्वस्त कर दिया था। (फोटोग्राफ पताका 'ख' पर स्थित हैं)। याचिकाकर्ता द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण को झूठी सूचना, कि मौके पर ध्वस्तीकरण नहीं किया गया है, देने पर मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.10.2018 में दोनों प्रश्नगत स्थलों का भ्रमण करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु श्री सुमीर सोढ़ी को कोर्ट कमिशनर नियुक्त किया। कोर्ट कमिशनर श्री सुमीर सोढ़ी को दिनांक 13.10.2018 को स्थल भ्रमण कर रिपोर्ट मा0 न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश मा0 न्यायालय द्वारा जारी किये गये थे। कोर्ट कमिशनर द्वारा 15.10.2018 को अपनी रिपार्ट मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रेषित करने पर मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा ओ.ए. नं0–343/2018 जितेन्द्र कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स में दिनांक 16.10.2018 को निम्न आदेश पारित किये गये–

"Learned counsel for the applicant submitts that compliance of the order has been made in this matter.

Consequently original application no. 343 of 2018 stands disposed of with on order as to cost."

जिलाधिकारी, आगरा
28/2/20

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा किये गये आदेशों के क्रम में कोर्ट कमिशनर की फीस रू0–50,000 तथा अन्य व्यय रू0–10,000 का वहन भी प्राधिकरण द्वारा किया गया था। वर्तमान में उक्त दोनों स्थलों पर स्थायी या अस्थायी शेड नहीं है।

श्री जिनेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 27.12.2018 को मा0 आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल आगरा के कार्यालय में पुनः अवैध रूप से डेयरी संचालन किये जाने की शिकायत करने पर स्थलीय निरीक्षण उपरान्त पाया गया कि ऋषिपुरम कॉलोनी के बगल में अवैध रूप से खुले में गाय एवं भैंस बांधकर डेयरी संचालित हो रही है, उक्त की आख्या आयुक्त महोदय को प्राधिकरण के पत्रांक–2014/डी/अ0नि0/19 दिनांक 24.01.2019 के माध्यम से प्रेषित की गयी थी, जिसकी प्रति जिला पशुधन विकास अधिकारी, आगरा को श्री जिनेन्द्र कुमार के मूल शिकायती पत्र के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी थी। पत्र की प्रतिलिपि पताका 'ग' पर स्थित है।

वर्तमान में प्रश्नगत भैंस बाड़े/डेयरी फार्म हाउस के पुनः संचालन के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली में वर्तमान में एक अन्य ओ0ए0 सं0–1044/2019 योजित की है। जिसके क्रम में प्रवर्तन अनुभाग द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया एवं पाया कि मौके पर पॉलीथीन शीट का शेड बनाकर (जिसकी ऊँचाई लगभग 5फीट है) पशु बांधे गये हैं तथा कुछ पशु खुले भूखण्ड पर भी बांधे गये हैं(फोटोग्राफ संलग्नक 'घ' पर स्थित हैं)। फलस्वरूप आवासीय भू–उपयोग के विरूद्ध व्यवसायिक प्रयोग होने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा 26(2) क अन्तर्गत कार्यवाही दिनांक 07.02.2020 को प्रवर्तन अनुभाग द्वारा की जा चुकी है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में प्राधिकरण के पत्रांक–2014/डी/अ.नि./19 दिनांक 24.01.2019 के द्वारा जिला पशुधन विकास अधिकारी, आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल शिकायत प्रेषित कर दी गयी थी। अतः अनुरोध है कि अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला पशुधन विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत को आदेशित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक :–उपरोक्तानुसार</u>

भवदीय,

सचिव

आगरा विकास प्राधिकरण

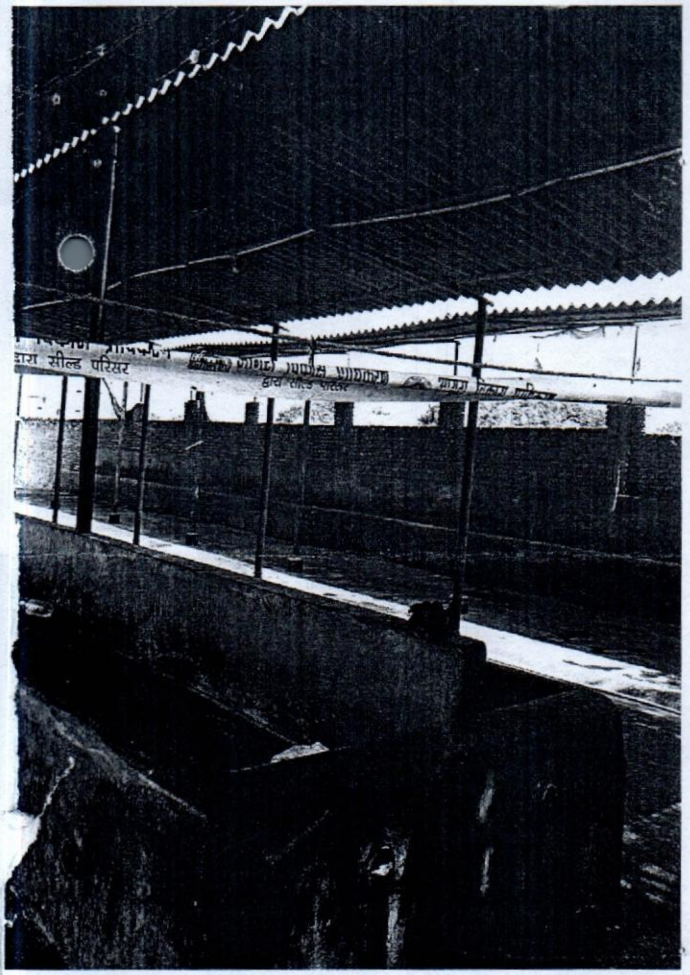

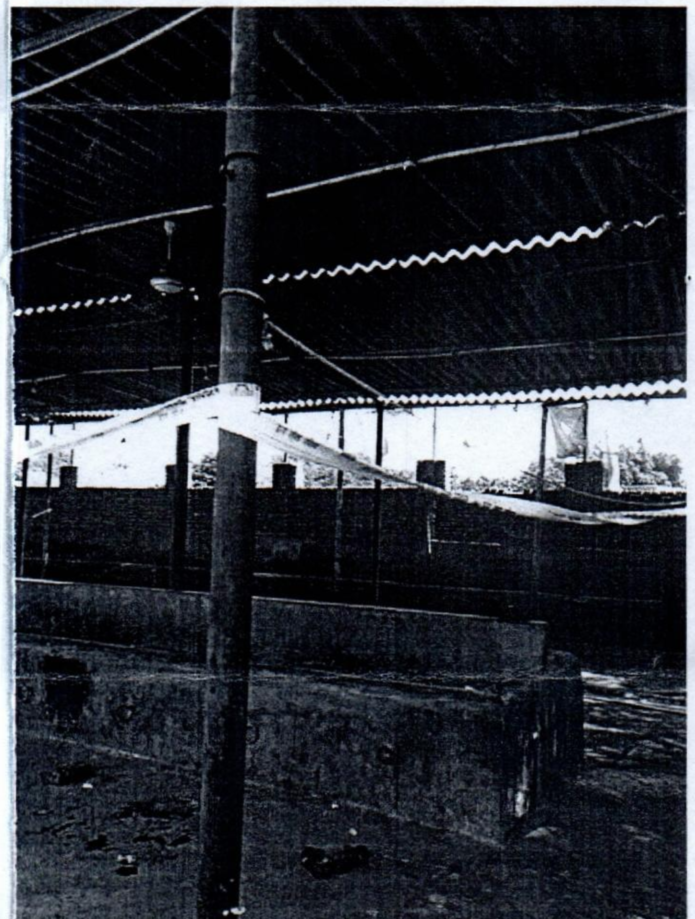

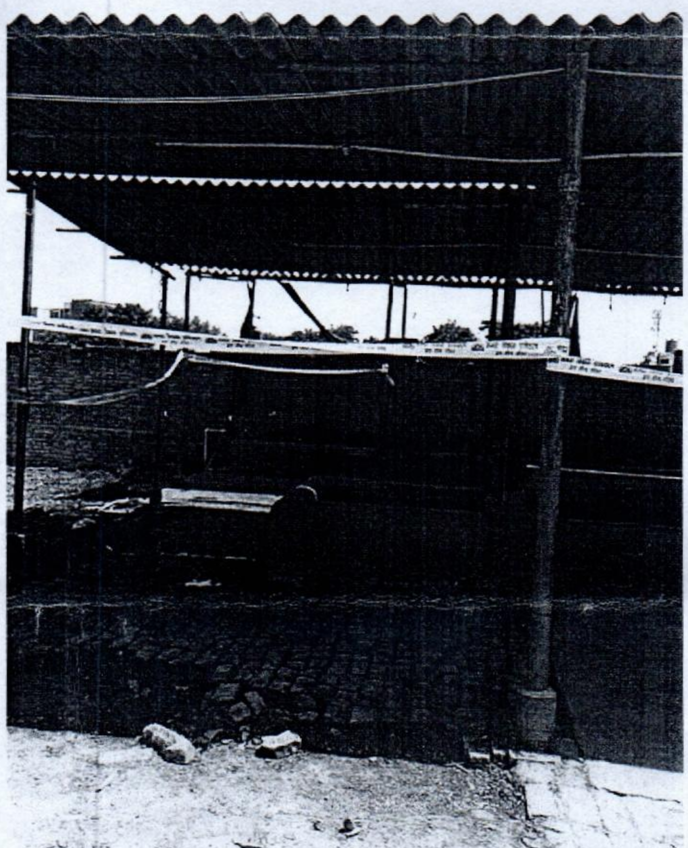

JE

AE

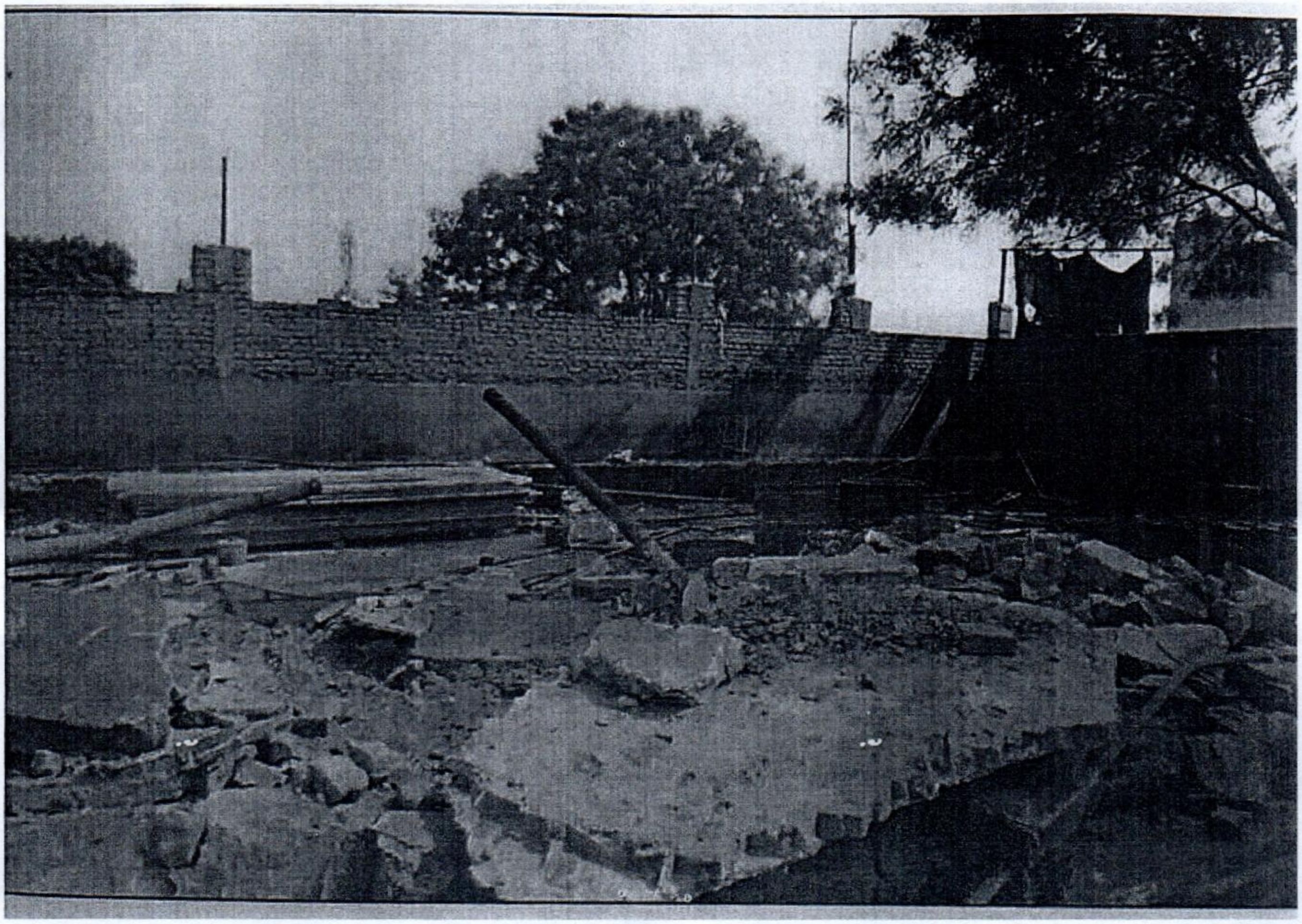

आ वि प्रा

कार्यालय-प्रवर्तन अनुभाग

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

पत्रांक :– 2019/डी०/अ०नि०/19 दिनांक 24/01/2019

प्रेषक,

सचिव,

आगरा विकास प्राधिकरण,

आगरा।

सेवा में,

आयुक्त,

आगरा मण्डल,

आगरा।

विषयः– भूखण्ड संख्या–29बी, ऋषिपुरम कॉलोनी के बगल में स्थित भू–भाग पर रखे गये मवेशी हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया पत्र के साथ संलग्न श्री जिनेन्द्र कुमार के पत्र दिनांक 20.12.2018 पर स्वकीय कार्यालय पृष्ठांकन संख्या–1379 दिनांक 27.12.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री जिनेन्द्र कुमार द्वारा अपने पत्र में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं०–343/2018 जिनेन्द्र कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का उल्लंघन किये जाने तथा विमल विहार एवं ऋषि पुरम, सिकन्दरा, आगरा में अवैध डेयरी संचालित किये जाने की शिकायत की गयी है। पत्र के कम में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० नं०–343/2018 जिनेन्द्र कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स में दिनांक 08.10.2018 को रामाजी धाम कॉलोनी तथा ऋषि पुरम कॉलोनी में स्थित अवैध रूप से निर्मित दोनों कैटल शैड को तोड़ने के आदेश प्रदान किये। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 08.10.2018 के कम में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 11.10.2018 को भूखण्ड संख्या–29 बी, ऋषिपुरम कॉलोनी के बगल में स्थित भूमि पर लगभग 200 वर्गमी० क्षेत्रफल पर डाले गये अवैध कैटल शेड तथा भूखण्ड संख्या–5 व 6 रामाजी धाम कॉलोनी, आगरा पर लगभग 300 वर्गमी० क्षेत्रफल के भूखण्ड में डाले गये अवैध कैटल शेड को ध्वस्त कर दिया गया तथा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कर दी गयी। तत्कम में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० नं०–343/2018 जिनेन्द्र कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स में दिनांक 16.10.2018 को निस्तारित कर दी गयी। याचिकाकर्ता श्री जिनेन्द्र कुमार के अधिवक्ता द्वारा भी मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में आर्डर कम्पलायंस होने को स्वीकार किया गया है। प्राप्त शिकायत के कम में पुनः दोनों स्थलों का निरीक्षण किया गया। उक्त दोनों स्थलों में कोई भी नव निर्माण किया गया या होता हुआ नहीं पाया गया। प्रकरण में आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा वर्तमान में कोई भी कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। भूखण्ड संख्या–29 बी, ऋषिपुरम कॉलोनी के बगल में स्थित भूमि के कुछ भाग पर त्रिपाल लगा कर मवेशी रखे गये है। उक्त मवेशियों को स्थल से हटाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही पशुपालन विभाग द्वारा की जानी है।

कृपया उपरोक्त से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय

सचिव

प्रतिलिपिः–

1. जिला पशुधन विकास अधिकारी, आगरा को श्री जिनेन्द्र कुमार का पत्र दिनांक 2012.2018 मूल रूप से शिकायत पर कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।
2. श्री जिनेन्द्र कुमार भूखण्ड संख्या–9, शशी नगर, रामाजी धाम, आगरा को सूचनार्थ।

सचिव

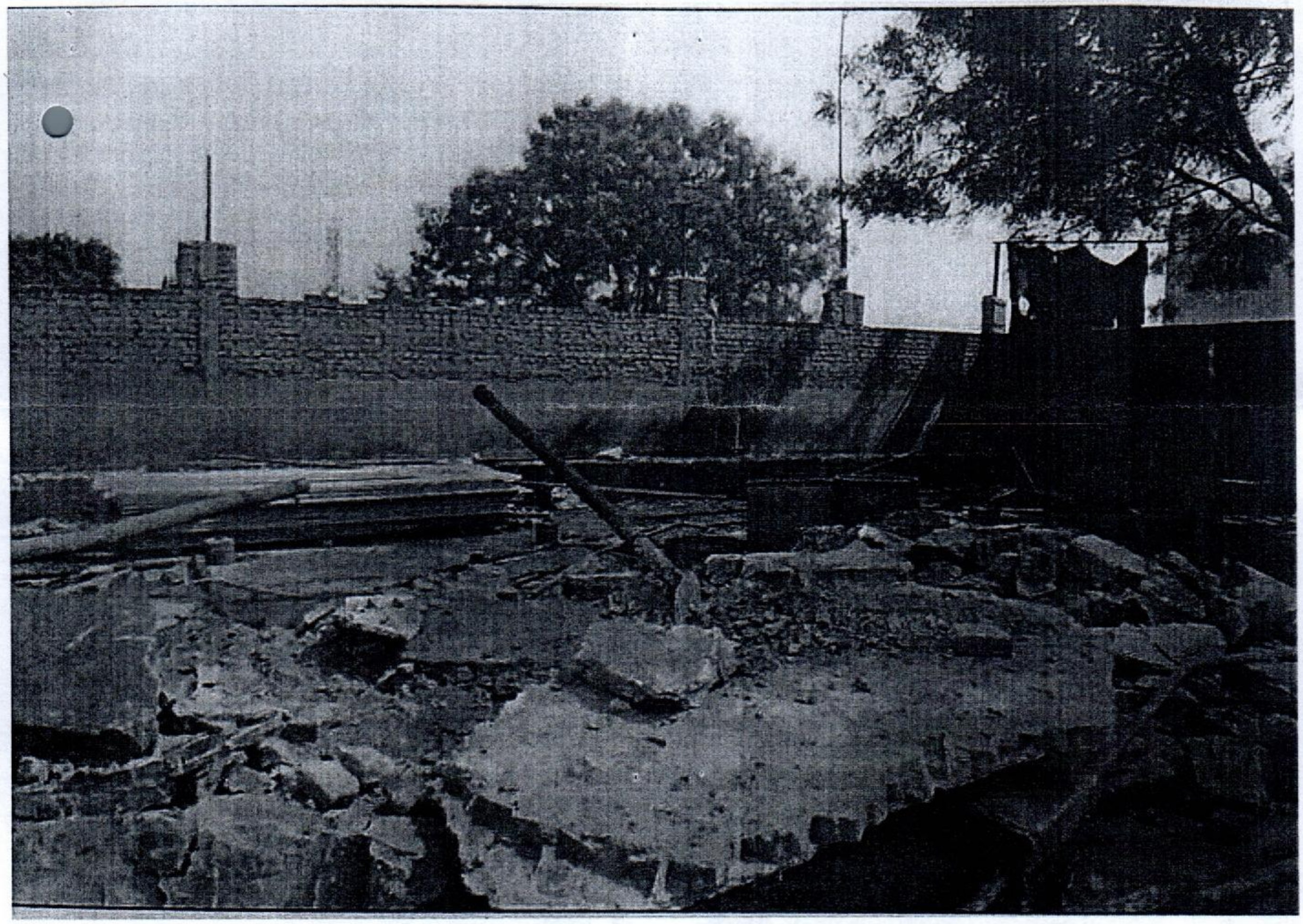

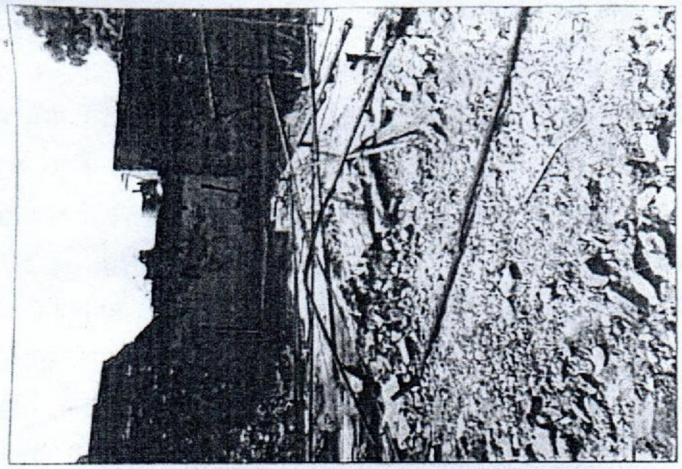

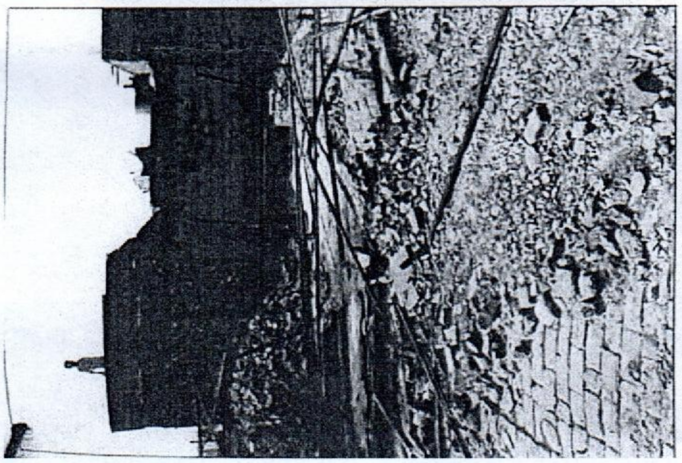

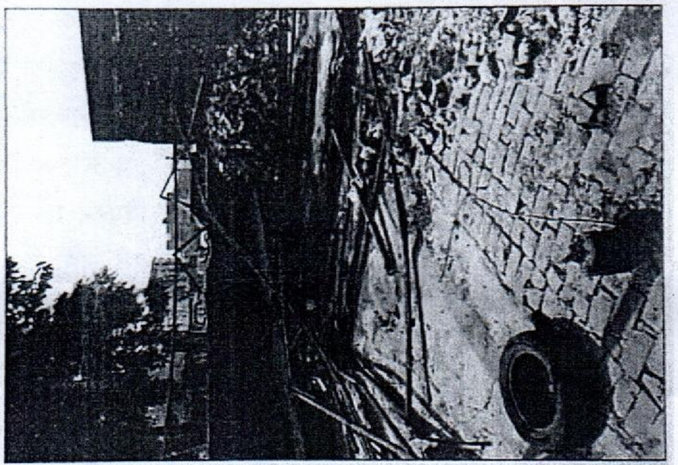

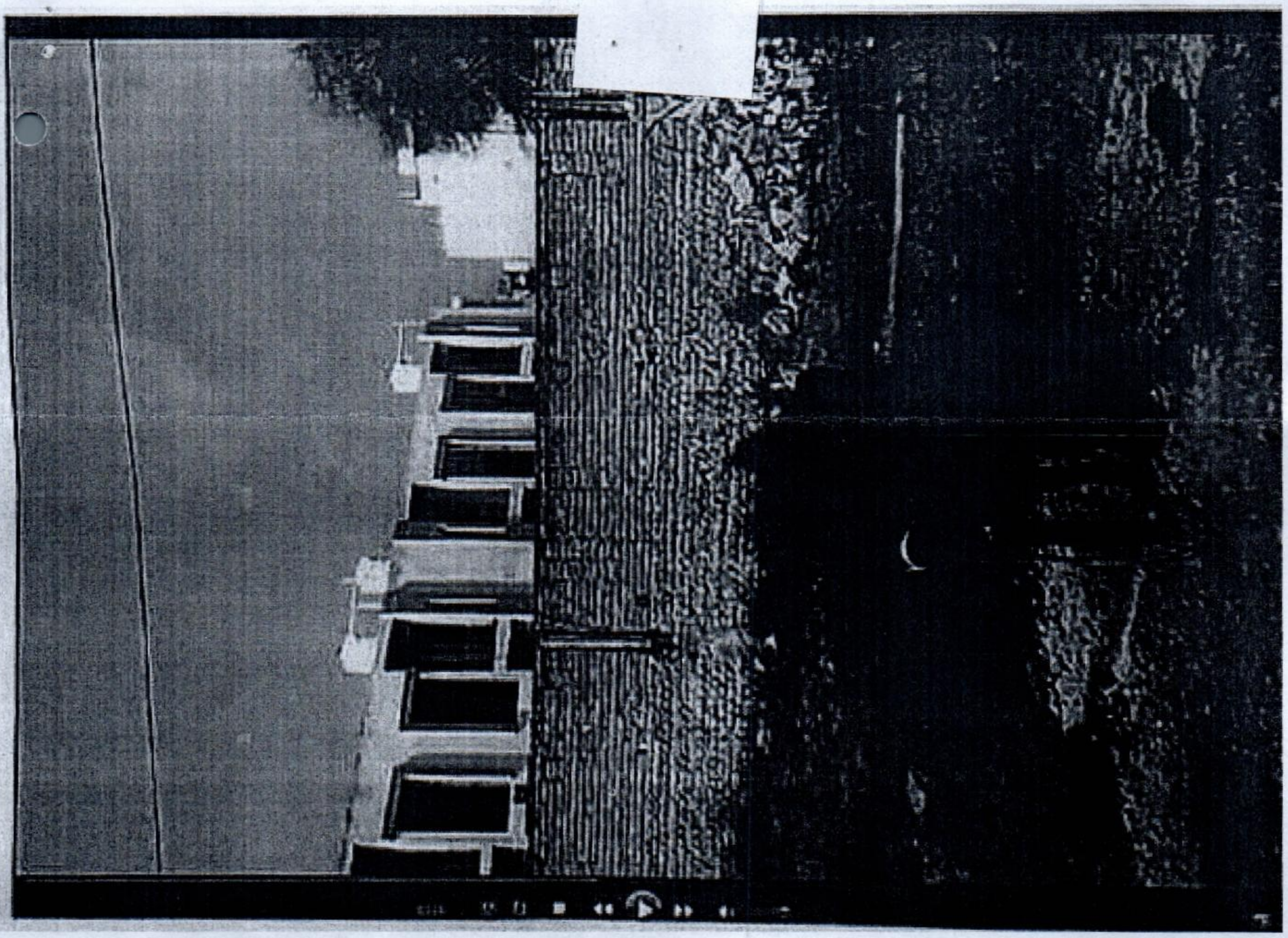

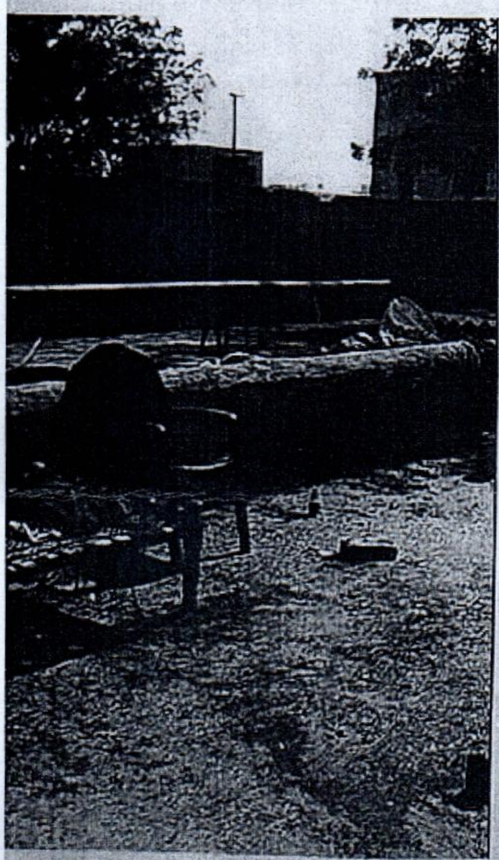

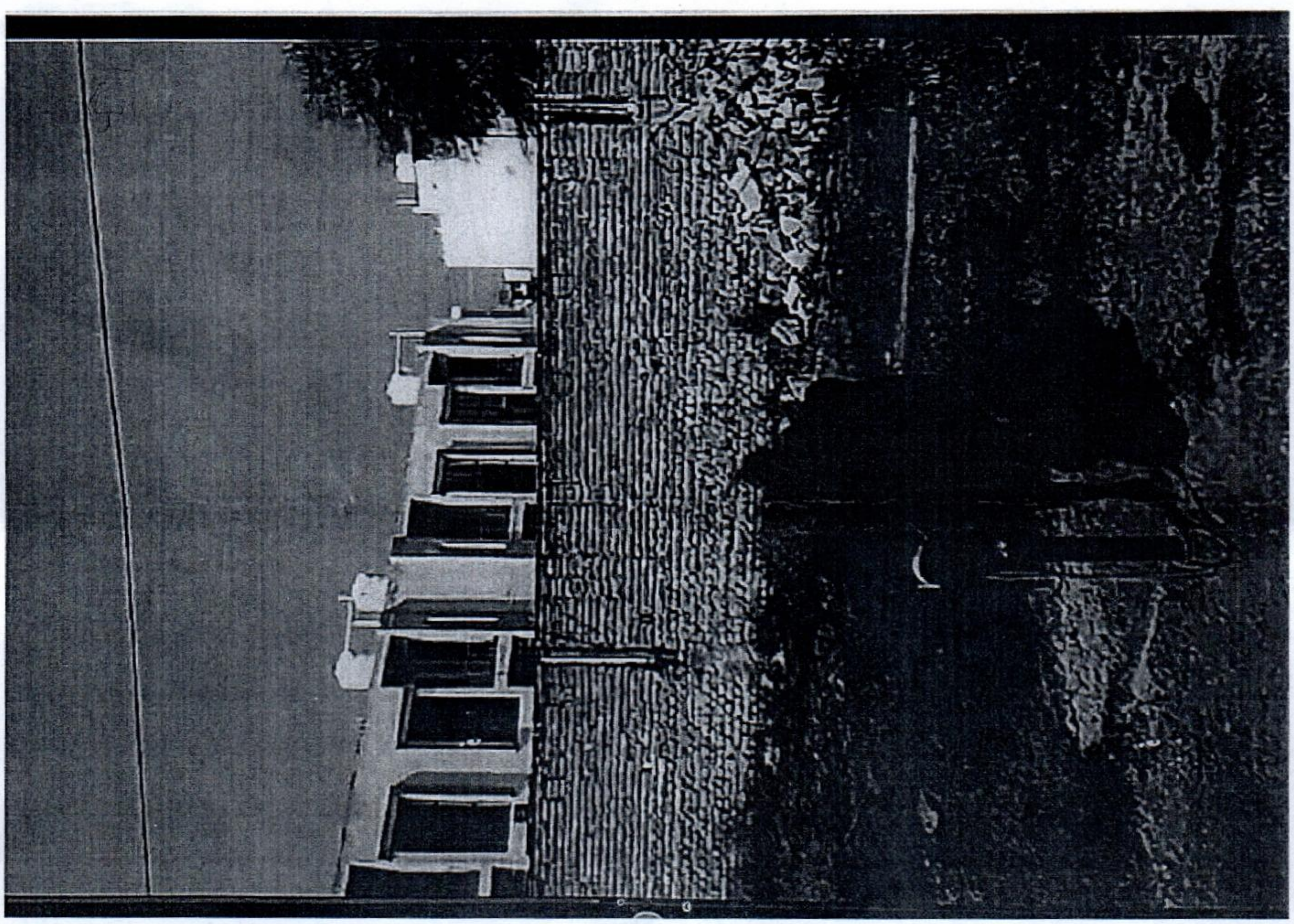

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
आगरा।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

पत्र सं0 : 2264/OG-626/2020 दिनांक : 25/01/2020

विषयः—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओए नं0—1044/2019 तनुज शिवहरे बनाम् यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि रामाजी धाम कालोनी व ऋषिपुरम कालोनी के आस—पास संचालित पशुबाड़ा एवं डेयरी फार्म से सम्बन्धित है। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2019 के मुख्य अंश निम्नवत् हैः—

" Grievance in this application is against operations of cattle sheds and dairy farm located in the vicinity of the green belt area and parks around Ram Ji Dham Colony and Rishipuram Colony, Sikandra, Agra.

"......... The above activities are in violation of order of this Tribunal date 08.10.2018 in O.A. No. 343/2018. In pursuance of the said order, the shed was demolished and sealed but the seal has been broken and illegal activities started again.

Let the UP State PCB and District Magistrate, Agra look into the matter and furnish a factual and action taken report within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in. The State PCB will be nodal agency for compliance.

Copies of the order be sent to UP State PCb and District Magistrate, Agra by e-mail for compliance.

The applicant may furnish set of papers to the UP State PCB and District Magistrate, Agra and file affidavit of service within one week. ...."

पूर्व में इसी प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 सं0—343/2018 जिनेन्द्र कुमार बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भैंसबाडे/डेयरी फार्म के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये भैंसबाड़े/डेयरी फार्म को सील किया गया था एवं तदोपरान्त उक्त याचिका मा0 अधिकरण द्वारा डिस्पोज ऑफ की गयी थी।

प्रश्नगत भैंसबाड़े/डेयरी फार्म के पुनः संचालन के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे वर्तमान में योजित एक अन्य ओ0ए0 सं0—1044/2019 (तनुज शिवहरे बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य) में पारित उक्त आदेश दिनांक 20.12.2019 के अनुपालन में उक्त भैसबाडें/डेयरी फार्म के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही की आख्या e-mail: judicial-ngt@gov.in के माध्यम से मा0 अधिकरण को दिनांक 13.03.2020 से पूर्व प्रेषित की जानी है। मा0अधिकरण द्वारा उक्त ओ0ए0 नं0—343/2018 में दिनांक 12.10.2018 को पारित उक्त आदेश की छायाप्रति आपके सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

अतः मा0अधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में प्रश्नगत भैंसबाड़े/डेयरी फार्म का संचालन बन्द कराने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या 15 दिन में अधोहस्ताक्षरी को अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

24/1/2020

(प्रभु एन0 सिंह)
जिलाधिकारी, आगरा

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः—

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रभु एन0 सिंह)